उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-51/2023/415/41-2023-307(बजट)/2022
लखनऊ दिनांक 25 जनवरी, 2023

संख्या-488/2022/3305/001-41-2022-307-Budget-2022, दिनांक 19.09.2022

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 7942/6-1-1(1414)/2022-23, दिनांक 23 जनवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद गाजीपुर के आदर्श रामलीला समिति सरतामगंज बाजार ब्लाक भदौरा में शेड के निर्माण की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-488/2022/3305/001-41-2022-307-Budget-2022, दिनांक 19.09.2022, के पृष्ठांकन के बिन्दु सं0-04 पर अंकित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, गाजीपुर के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 19.09.2022 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ**0**प्र**0**, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियन्त्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0), लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, वाराणसी द्वितीय।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**7**, उ0प्र0 शासन।
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी/सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।